एक नजर

सीमेंट कंक्रीट कार्य ने बढ़ाई लायंस पार्क चौक की सुंदरता

नीमच। नगर पालिका परिषद नीमच की अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा के मार्गदर्शन में शहर में जारी विकास श्रृंखला के तहत स्थानीय लायंस पार्क के पीछे चौक रोड के यहां 11 लाख की लागत से कराये जा रहे सीमेंट कंक्रीट कार्य ने वहां की सुंदरता को कई गुना बढ़ा दिया है। मंगलवार को नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती स्वाति गौरव चोपड़ा ने उक्त कार्य का निरीक्षण किया एवं जो भी कमियां दिखाई दी उन्हें दूर करने के निर्देश ठेकेदार एवं नगर पालिका इंजीनियर को दिए। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती चोपड़ा ने बताया कि लायन्स पार्क के यहां चौक पर चाट,पकौड़ी,पतासे एवं अन्य खानपान की वस्तुओं के ठेले लगते हैं और यहां बड़ी संख्या में शहर के नागरिक परिवार सहित आते हैं, यह स्थान शहर के मुख्य मार्ग से जुड़ा है। बारिश में यहां जल भराव की समस्या भी रहती है. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए यहां 11 लाख की लागत से 40 मीटर लंबा व 15 मीटर चौड़ा सीमेंट कंक्रीट कार्य कराया गया है जिससे अब यह स्थान स्वच्छ व सुंदर नजर आने लगा है. श्रीमती चोपड़ा ने कहा कि हमारा उद्देश्य शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाना है और इसके लिए नगर पालिका द्वारा शहर में सुंदर और चौड़ी सड़कों का निर्माण, बगीचों का कायाकल्प, शहर में सुंदर पेंटिंग सहित अनेक विकास कार्य कराये जा रहे है। शहर के नागरिकों से भी अनुरोध है कि वे शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में नगर पालिका का सहयोग प्रदान करें तथा अपने घर व संस्थान का कचरा डस्टबिन में एकत्रित कर कचरा गाड़ी में ही डालें तथा होटल, हलवाई व खान पान की दुकानवाले सहित अन्य व्यवसायी अपने यहां डस्टबिन रखें तथा स्वयं के साथ साथ ग्राहकों को भी पॉलिथीन का उपयोग न करने तथा कचरा डस्टबिन में ही डालने हेतु प्रेरित करें। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री गजवीर सिंह परमाल, नगर पालिका इंजीनियर श्री पार्थ पंचोली, श्री अर्जुन राठौर तथा ठेकेदार भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत शहर में अपात्र हितग्राहियों का पुन: सर्वे करवाए प्रशासन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

नीमच। शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। पूरे शहर के लगभग 200 जरूरतमंद हितग्राहियों को अपात्र कर दिया गया। जिसमें सभी का कारण अलग-अलग बताया गया है। लेकिन उनमें से अधिकतर पात्र हो सकते थे, उन्हें लाभ दिया जाना चाहिए था। काफी समय से ऐसे पात्र एवं जरूरतमंद हितग्राही इस योजना का इंतजार कर रहे थे। वे सभी हितग्राही मध्यम वर्गीय होकर जैसे तैसे अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। अपात्र हुए हितग्राहियों में पूरे शहर के 200 व शहर के वार्ड क्रमांक 9, 10, 11 में 80 नाम अलग-अलग कारणों से अपात्र किए गए हैं, जो इन दोनों परेशान हो रहे हैं। कई परिवारों को उनके मकान में भंगार का सामान भरा होना व छत पर लोहे की गाडर-चौका का हवाला देकर अपात्र किया गया। जबकि वे मकान 40-50 वर्ष पुराने होकर जर्जर अवस्था में है। ऐसे मकानों में बारिश के समय पानी भी टपकता है। मकान गिरने की स्थिति में है। उनमें से काफी नाम पात्रता की श्रेणी में आ सकते थे। नीमच नगर पालिका परिषद वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद हरगोविंद दीवान एवं वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद प्रतिनिधि मुकेश पोरवाल द्वारा इस प्रमुख समस्या के समाधान की मांग करते हुए मंगलवार को जनसुनवाई में जिलाधीश के नाम ज्ञापन दिया गया। दिए ज्ञापन में पूर्व में अपात्र हुए हितग्राहियों का पुन: सर्वे कराए जाने की मांग की गई हैं, ताकि पात्र व जरूरत मंद हितग्राही सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित न रह सके। पार्षद गणों ने इस ज्ञापन की एक प्रतिलिपि नगरी प्रशासन मंत्री कैलाशजी विजयवर्गीय को भी प्रेषित की है।

पुलिस कंट्रोल रूम नीमच में जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं शिकायत निवारण शिविर का आयोजन

नीमच। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन जोन के निर्देशानुसार मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम नीमच में जिला स्तरीय जनसुनवाई, शिकायत निवारण एवं सीएम हेल्पलाइन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने की। शिविर में आम नागरिकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कीं। पुलिस अधीक्षक ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित थाना प्रभारियों एवं अधिकारियों को त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान आयोजित सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर में लेवल-1, लेवल-2 एवं लेवल-3 की कुल 15 शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कर उन्हें बंद कराया गया। वहीं जनसुनवाई शिविर में करीब 54 फरियादियों ने विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए, जिनके शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री व्यास ने राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद, पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य जनहित के प्रकरणों पर विशेष संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए। शिविर में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जावद रोहित राठौर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनासा निकिता सिंह, जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारी, विभिन्न शाखाओं के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में फरियादी एवं आवेदक उपस्थित रहे।

'प्रशासन आपके द्वार': आज ग्राम खातीखेड़ा में जनसमस्या निवारण शिविर

नीमच। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार आज 03 जून 2026, मंगलवार को ग्राम खातीखेड़ा, ग्राम पंचायत भगवानपुरा, तहसील जावद में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जा रहा है। सामूहिक प्रस्थान अनिवार्य: कलेक्टर हिमांशु चंद्रा सहित सभी जिला अधिकारीगण कलेक्ट्रेट परिसर, नीमच से शाम 4:00 बजे जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित यात्री बस से शिविर स्थल के लिए प्रस्थान करेंगे। वाहन प्रतिबंध: कोई भी अधिकारी शासकीय अथवा निजी वाहन का उपयोग जनसमस्या निवारण शिविर में जाने के लिए नहीं करेंगे। समय की पाबंदी: सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी समय पर कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। बस की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। शिविर का उद्देश्य: जनसमस्या निवारण शिविर में ग्राम खातीखेड़ा एवं आसपास के ग्रामों के नागरिकों की राजस्व, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, पेंशन, राशन एवं अन्य शासकीय योजनाओं से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। क्षेत्र के ग्रामीणों से अपील की गई है, कि अपनी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित शिविर में उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाए।

सिंगोली में जर्जर मकान की छत ढही, मां-बेटे की मौत

- **बारिश-आंधी के बीच हादसा, परिवार को प्रशासन ने 9 लाख की सहायता दी**

सिंगोली। नगर में सोमवार देर रात करीब 12 बजे सिंगोली में एक जर्जर मकान की चौथी मंजिल का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। लाल पत्थरों की पट्टियां टूटकर नीचे गिरीं, जिससे वह कमरा पूरी तरह मलबे में बदल गया, जहां निलेश जैन और उनकी मां सोसरबाई सो रहे थे।

दूसरे कमरे में सो रहे निलेश के भाई रवि जैन सुरक्षित बच गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन सोसरबाई की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल निलेश को कोटा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिक, सिंगोली पुलिस, 112 डायल टीम और नगर परिषद के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बचाव दल ने मलबे को हटाकर मां-बेटे को बाहर निकाला।

अधिकारियों की लापरवाही से नहीं मिला पक्का मकान-निलेश अखबार बांटने का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते थे, जबकि उनके भाई रवि एक होटल में कार्यरत हैं। परिजनों और मोहल्लेवासियों का दावा है कि परिवार लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की मांग कर रहा था और जर्जर भवन में रहने की मजबूरी से अधिकारियों को अवगत भी कराया गया था। हालांकि नगर परिषद का कहना है कि परिवार की ओर से आवास योजना के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। वहीं स्थानीय लोगों ने यह भी सवाल उठाए हैं कि बारिश से पहले जर्जर भवनों का सर्वे कर कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस मकान का सर्वे नहीं किया गया।

परिजनों बोले-अधिकारियों ने नहीं दिया ध्यान-हादसे के बाद जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि तथा मकान क्षति के लिए 1 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। कुल 9 लाख रुपए की यह आर्थिक सहायता राहत तो देगी, लेकिन घटना ने आवास योजनाओं की पहुंच, जर्जर भवनों की निगरानी और समय पर कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि सिंगोली नगर परिषद लंबे समय से नियमित मुख्य नगरपालिका अधिकारी के बिना चल रही है। वर्तमान में इसका प्रभार एक उपयंत्री के पास है, जिससे आम जनता के आवश्यक कार्य समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं।

पीड़ित परिवार को 9 लाख रुपए की सहायता

प्रशासन ने इस घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार के वारिस रवि पिता प्रभु लाल जैन निवासी सिंगोली को आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग 6/4 के तहत कुल 9 लाख रुपए की सहायता का प्रकरण तैयार किया गया है। एसडीएम श्रीमती प्रीति संघवी नाहर ने बताया कि सिंगोली में गत रात्रि मकान की छत गिरने से मां सोसर बाई और बेटे नीलेश की मौत हो गई थी। प्रशासन की ओर से राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग 6(4) के तहत दो पीड़ितों की मौत के लिए 8 लाख रुपए और मकान क्षतिग्रस्त होने के लिए 1 लाख रुपए, इस तरह कुल 9 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा रही है।

तहसीलदार बोले- नियमानुसार हर संभव सहायता की जाएगी

इस मामले में तहसीलदार प्रेमशंकर पटेल ने बताया कि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक मां और बेटे के परिजनों को 'संबल योजना' के तहत 5-5 हजार रुपए की अंत्येष्टि सहायता राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार परिवार का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (क्तन्व 1.0) की सूची में शामिल नहीं था और क्तन्व 2.0 के तहत भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तहसीलदार ने आश्वस्त किया कि प्रभावित परिवार को नियमानुसार हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

जनसुनवाई में दिव्यांग श्रवण को रेडक्रास से आर्थिक सहायता के निर्देश

नीमच। जनसुनवाई में दुर्घटना पीडित दिव्यांग श्रवण कुमार को कलेक्टर द्वारा रेडक्रास से स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश भी दिए। डीकेन के श्रवण कुमार ने ट्रेक्टर दुर्घटना में दिव्यांग हो जाने पर आर्थिक सहायता का अनुरोध जनसुनवाई में किया था।

कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को जनसुनवाई में 112 आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकरियों को दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एडीएम श्री बी.एस.कलेश, सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में रामपुरा की जयश्री, नयागांव के सत्तु धाकड़, राजु धाकड, खजुरिया के सुरजमल, कुकडेश्वर के रमेशचंद्र, भरभडिया की राधा प्रजापत, देवरीसोम्या के सीताराम, विनोद, नीमच के योगेश बागडी, कुकडेश्वर की कृष्णाबाई, भदवा के कारूलाल, पिपलिया रावजी की तारा, पड़दा के शंकरलाल, हाडी पिपलिया की ममता कुंवर, केलुखेडा के समरथ, बरखेडा हाडा के प्रतापसिह, राकेश, अमरपुरा के घनश्याम ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

गोविन्दपुरा के नानालाल, रामपुरिया के बल्लुराम,सगरग्राम की चंदाबाई, नेवड की घीसीबाई, ग्वालटोली की सुधा दिवान, महुडिया के सत्यनारायण, धनेरियाकला की भावना आदि आवेदकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

एक सप्ताह में डिस्मेंटल करें सभी क्षतिग्रस्त एवं जर्जर भवन: कलेक्टर

- **सीएमओ-सीईओ की जवाबदेही: 'क्षेत्र जर्जर-मुक्त' का देना होगा प्रमाण पत्र**
- **नाले-नालियों की सफाई, पेयजल टंकियों का क्लोरीनेशन अनिवार्य, जलभराव वाले पुलों से वाहन ना गुजरे**

नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में वर्षाकाल पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण करने के सख्त निर्देश जारी किए है। कलेक्टर ने निर्देश दिए है, कि जिले के सभी विभागों के अधिकारी चिन्हित सभी क्षतिग्रस्त एवं जर्जर भवनों को एक सप्ताह में डिस्मेंटल करवाना सुनिश्चित करें, ताकि वर्षाकाल में किसी भी दुर्घटना एवं जनहानि की आशंका न रहे।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव, एडीएम श्री बी.एस.कलेश, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।

सीएमओ का फील्ड सर्वे अनिवार्य: सभी नगरीय निकायों के सीएमओ अपने क्षेत्र के सभी वार्डों, मोहल्लों का भ्रमण कर प्रमाणित करें कि क्षेत्र में कोई भी जर्जर भवन शेष नहीं है। निजी जर्जर भवन मिलने पर संबंधित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करवाएं। इस कार्य में पार्षदों एवं न.पा. पदाधिकारियों का भी सहयोग लिया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए, किसभी सीएमओ, जनपद सीईओ लिखित प्रमाण पत्र दें कि उनके क्षेत्र में कोई जर्जर भवन नहीं है। इसके बाद भी यदि जर्जर भवन के कारण कोई घटना होती है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जलभराव एवं पेयजल सुरक्षा संबंधी निर्देश: कलेक्टर ने सीएमओ, जनपद सीईओ और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि, पेयजल पाईप लाइनों की जांच कर सभी लीकेज तत्काल बंद करवाएं। सभी पेयजल टंकियों की साफ-सफाई एवं जल स्त्रोतों का क्लोरीनेशन अनिवार्य रूप से करवाएं। स्कूलों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों की टंकियों की विशेष सफाई करवाई जाए। सभी छोटे-बड़े नाले, नालियों की सफाई वर्षा पूर्व पूर्ण करें, जिससे जल निकासी बाधित न हो। निर्माण विभाग सुनिश्चित करें, कि सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यों से कहीं जलभराव की स्थिति निर्मित न हो। परिवहन विभाग को निर्देश:कलेक्टर ने आर.टी.ओ. को स्पष्ट निर्देश दिए, कि पुल, पुलियाओं पर जलभराव की स्थिति में कोई भी यात्री बस या स्कूल वाहन न निकाला जाए। वाहन संचालकों एवं मालिकों को इस संबंध में सख्ती से पाबंद किया जाए।

सीमांकन हुआ, कब्जा भी मिला... फिर भी नहीं मिली जमीन!

- **84 वर्षीय विधवा तीसरी बार पहुंची जनसुनवाई**

नीमच। 84 वर्ष की उम्र में जहां लोग सहारे की उम्मीद करते हैं, वहीं ग्राम अडमालिया की एक बुजुर्ग विधवा अपनी ही जमीन वापस पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। सीमांकन हो चुका, राजस्व अमले ने कब्जा भी सौंप दिया, लेकिन हकीकत में आज भी वह अपनी जमीन पर अधिकार नहीं पा सकी है। यही पीड़ा लेकर हुलासी बाई तीसरी बार कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचीं।

ग्राम अडमालिया निवासी हुलासी बाई पति स्वर्गीय काशीराम ने जनसुनवाई में दिए आवेदन में बताया कि वह वृद्ध और विधवा हैं तथा परिवार में उनका कोई सहारा नहीं है। उनकी कृषि भूमि सर्वे नंबर 617/2/2, रकबा 0.57 हेक्टेयर स्थित है, जो उनके जीवनयापन का एकमात्र आधार है। महिला के अनुसार भूमि विवाद के चलते उन्होंने सीमांकन की मांग की थी। राजस्व विभाग ने प्रकरण क्रमांक आरएस/432/0736/1161/2026 में सीमांकन की कार्रवाई पूरी की और मौके पर भूमि का कब्जा भी उन्हें सौंप दिया। लेकिन कुछ समय बाद पड़ोसी किसानों द्वारा फिर से भूमि पर कब्जा कर खेती किए जाने का आरोप है।

हुलासी बाई का आरोप है कि पड़ोसी दिलीप कुमार नागदा और रामगोपाल सीमांकन के बाद भी जमीन खाली नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी वह अपनी भूमि पर अधिकार की बात करती हैं तो उन्हें टाल दिया जाता है और कथित रूप से अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। बुजुर्ग महिला का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। इसी कारण उन्हें तीसरी बार जनसुनवाई में पहुंचकर न्याय की मांग करनी पड़ी। जनसुनवाई में दिए आवेदन में हुलासी बाई ने कलेक्टर से मांग की है कि उनकी भूमि को कब्जामुक्त कराया जाए तथा मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि जीवन की इस उम्र में उनकी केवल एक ही इच्छा है अपनी जमीन पर अपना हक मिल जाए। अब यह मामला एक बार फिर प्रशासन के समक्ष पहुंचा है। सीमांकन और कब्जा सौंपे जाने के बाद भी यदि भूमि विवाद बना हुआ है तो यह सवाल भी उठ रहा है कि आदेशों का जमीन पर पालन आखिर क्यों नहीं हो पा रहा। फिलहाल बुजुर्ग महिला को उम्मीद है कि इस बार उनकी फरियाद सिर्फ सुनी ही नहीं जाएगी, बल्कि उन्हें न्याय भी मिलेगा।

पीएम आवास निर्माण में बाधा का आरोप, हितग्राही ने जनसुनवाई में लगाई गुहार

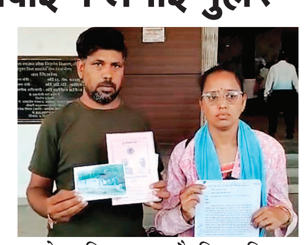

नीमच। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान के निर्माण में कथित बाधा, निजी भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास और परिवार को धमकाने के आरोपों को लेकर जावद निवासी एक हितग्राही ने कलेक्टर जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

वार्ड क्रमांक 6 निवासी बलराम बाथरा ने आवेदन में बताया कि उसे शासन द्वारा आवंटित पट्टे की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत हुआ है तथा प्रथम किश्त भी प्राप्त हो चुकी है। मकान निर्माण कार्य शुरू करने के दौरान कुछ लोगों ने कथित रूप से निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हुए भूमि पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि संबंधित व्यक्तियों ने निर्माण कार्य रुकवाने के साथ-साथ मजदूरों को भी डराया-धमकाया। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि भूमि पर जबरन चबूतरा बनाकर खंडित मूर्ति स्थापित की गई तथा धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। बलराम बाथरा ने आरोप लगाया कि मकान निर्माण जारी रखने पर उसे झूठे मामलों में फंसाने, मकान गिराने और आग लगाने जैसी धमकियां भी दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मकान निर्माण के लिए ऋण लेकर निर्माण सामग्री खरीदी गई है और योजना की आगामी किश्त प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा करना आवश्यक है।

एक नजर | **सरकार को घेरा, सिंगोली हादसे और जावद जनपद अध्यक्ष विवाद पर उठाए सवाल**

नीमच पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, संगठन में फूंका जोश

नीमच। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सोमवार को नीमच प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक कर आगामी राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की।

शहर के होटल मंगलम में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के दौरान पटवारी ने करीब दो घंटे तक बंद कमरे में मंडल अध्यक्षों, नगर अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, जनसरोकार के मुद्दों को जनता के बीच प्रभावी ढंग से उठाने तथा आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों से जमीनी स्तर पर सक्रिय रहकर जनता के बीच कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा को पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखे प्रहार किए। उन्होंने सिंगोली में मकान की छत गिरने से मां-बेटे की हुई मौत को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि यह घटना केवल एक हादसा नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा

कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्षों पहले जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के दावे किए गए थे, लेकिन आज भी कई गरीब परिवार जर्जर और असुरक्षित मकानों में रहने को मजबूर हैं। ऐसी घटनाएं यह बताती हैं कि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। पटवारी ने कहा कि यदि समय पर जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराया गया होता तो शायद ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सकता था। उन्होंने इस मामले में प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने जावद जनपद पंचायत अध्यक्ष गोपाल चारण से जुड़े विवादित प्रकरण का भी उल्लेख किया और कहा कि जिला प्रशासन को ऐसे मामलों में गंभीरता दिखानी चाहिए। पटवारी ने कहा कि कानून और प्रशासनिक व्यवस्था पर जनता का विश्वास बनाए रखना शासन और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, भ्रष्टाचार तथा विभिन्न जनहित के मुद्दों पर भी राज्य सरकार को घेरते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस लगातार जनसमस्याओं को लेकर संघर्ष कर रही है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जीतू पटवारी ने विश्वास जताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन के बल पर मध्यप्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं तथा आने वाले समय में कांग्रेस और अधिक मजबूती के साथ जनता के बीच नजर आएगी।